

195

638/2015/1206/69-1-15-60(4)/097C

एच०एच० वि०
विशेष अधिकारी
3090 लखनऊ

PLA-83
I H3DP

11.08

स्वा में
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3090 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-फर्रुखाबाद की निकाय-मोहम्मदाबाद की 01 परियोजना हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-442/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मू०वृ०/2014-15, दिनांक 08 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-फर्रुखाबाद की नगर निकाय-मोहम्मदाबाद की अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 132 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना हेतु रु० 453.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित पुनरीक्षित प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित देय अंतर की धनराशि रु० 132.80 लाख (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-2015-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)


क्र० सं०	जनपद/परियोजना/कुल आवासों की संख्या।	मूल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	मूल परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की कुल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु प्रथम/द्वितीय किरत व शार्टफाल के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि।	भारत सरकार को वापस जाने वाली केन्द्राश की धनराशि, जिसे मूल्यवृद्धि की गणना में शामिल नहीं किया गया है।	पी०एच० एस०डी०पी० एच०एस०डी०पी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित परियोजना लागत।	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति हेतु मूल्य वृद्धि की कुल धनराशि (सेन्टेज चार्ज व लेबरसेंस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फर्रुखाबाद/मोहम्मदाबाद-132 आवास	319.32	132	319.32	285.99	10.55	453.84	453.84	429.34	132.80
	योग									132.80

प्रो. प्रो. प्रो. / प्रो. प्रो. प्रो.

क्रमांक:.....2

10/7/15


10. धनराशि का उपयोग करके 30.09.2015 के आदेश के अन्तर्गत में से जहाँ धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
 11. धनराशि का उपयोग 30.09.2015 के आदेश के अन्तर्गत में से जहाँ धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
 12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आह्वान की वर्षान्त पर अपने लेखों का मित्रान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेगा।
 13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवृत्ति परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूझा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेगा। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०यू०) किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित सूझा को निर्देशित किया जायेगा।
 15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
 16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तविक रूप से किया जायेगा।
 17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। भविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एम०एल०एन०ए० (सूझा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगा।
 19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०यू०) किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित सूझा को निर्देशित किया जायेगा।
 20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आह्वान कर व्यय कर ली जाय।
 21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूझा सुनिश्चित किया जायेगा।
 22. सूझा द्वारा शासनादेश सं०-मु०स०-29/69-1-14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या- 138/2004/2006 (1)69-1-15-67(बजट) 09टीसी, शहरिनका

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेदन मापदंडों हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सराजनी मायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फर्रुखाबाद।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।


3.7.15

आजा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shahnamadeshaup.nic